रे.रे./

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(6)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल जिला भोपाल
==

प्रकरण क्रमांक /2017
रे.रे.1-9095-PBR/17

कन्हैयालाल आयु वयस्क
आत्मज श्री घासीराम
निवासी- ग्राम कुठार
तहसील हुजूर जिला भोपाल
--------- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) तहसील हुजूर
जिला भोपाल
--------- अनावेदक

कन्हैयालाल विदेक द्वारा आज दि: 24-5-17 को कैम्प भोपाल में प्रस्तुत
24-5-17

1-6-17

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35(3) मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1. यह कि आवेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 96/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 1.12.2014 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अपील क्रमांक - 674-पी.बी.आर-15पर पंजीबद्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील को आदेश दिनांक 28.04.2016 द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज की गई है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो. 9095–पीबीआर / 17 [कन्हैयालाल / शासन] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/17	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–4–2016 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किये जाने सम्बंधी आदेश के विरूद्ध पुर्नस्थापन आवेदन पत्र दिनांक 24–5–17 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा यह कहना कि आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, और इस न्यायालय के आदेश की जाकनारी नहीं देना बतलाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है, क्योंकि आवेदक का यह दायित्व था कि वे इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते । अतः यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	